

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
हीरा आयात और निर्यात में गिरावट

2607. श्री यूसुफ पठान:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में हीरे के आयात और निर्यात में तीव्र गिरावट से अवगत है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त गिरावट के क्या कारण हैं और हीरा उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;
- (घ) कारखानों के बंद होने और भुगतान नहीं करने के कारण हीरा उद्योग में कितनी नौकरियों का नुकसान हुआ है; और
- (ङ) विस्थापित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने और उनका पुनः रोजगार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख) और (ग) वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में हीरों के निर्यात और आयात में गिरावट आई है।

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में	अपरिष्कृत हीरे		कट और पॉलिश किए हुए हीरे		कुल	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
निर्यात	1,003.06	566.66	17,367.60	14,527.61	18,370.66	15,094.27
आयात	15,511.78	11,376.18	7,483.74	5,814.43	22,995.52	17,190.61

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

*हीरे में एचएस 7102 (प्राकृतिक हीरे), एचएस 7104 21 और एचएस 7104 91 (प्रयोगशाला में विकसित हीरे) शामिल हैं।

यूक्रेन और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्षों के प्रभावों के कारण, संपूर्ण विश्व में विलासिता की वस्तुओं की उपभोक्ता मांग में आम तौर पर गिरावट आई है। हीरे एक विलासिता की वस्तु होने के चलते, भारत के निर्यात गंतव्यों में भी उपभोक्ता मांग में गिरावट देखी गई है। रूसी हीरों पर जी7 प्रतिबंधों और आयातक जी7 और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा गैर-रूसी हीरों की पहचान और पता लगाने की संबंधी चुनौती ने भी हीरा व्यापार को प्रभावित किया है। कट और पॉलिश किए हुए हीरों का वैश्विक निर्यात वर्ष 2023 में 75.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2024 में 54.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है।

इसके प्रत्युत्तर में, वाणिज्य विभाग (डीओसी) निर्यात और आयात में गिरावट से निपटने के लिए बहुआयामी कार्यनीतियाँ का क्रियान्वयन कर रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. रूसी हीरों पर जी7 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, भारत के हीरा उद्योग की सुरक्षा के लिए वाणिज्य विभाग जी7 के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं:

- (i) पूर्ण-ट्रेसेबिलिटी योजना को दिनांक 01 मार्च 2025 से 01 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया।
- (ii) प्रतिबंधों से पहले जी7/ईयू में प्रवेश करने वाले हीरों के लिए 'गैडफादरिंग ऑफ डायमंड्स' की अनुमति प्रदान की गई।
- (iii) तीसरे देशों में प्रसंस्कृत रूसी हीरों से जड़ित आभूषणों को प्रतिबंधों के दायरे से मुक्त रखा गया।

2. वाणिज्य विभाग, उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर, नए बाजारों की खोज के लिए पहल कर रहा है साथ ही मौजूदा प्रमुख बाजारों में हीरे के निर्यात को बनाए रख रहा है।

3. वाणिज्य विभाग ने आईआईटी-मद्रास को वर्ष 2023-24 में 242.96 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना सौंपी है, जिसका उद्देश्य रासायनिक वाष्प निक्षेपण (सीवीडी) और उच्च दाब एवं उच्च तापमान (एचपीएचटी) प्रणालियों दोनों के स्वदेशी विनिर्माण के साथ-साथ प्रयोगशाला में विकसित हीरा (एलजीडी) व्यवसाय के विस्तार के लिए 5 वर्षों में कार्य करना है।

4. अपरिष्कृत लैब ग्रोन हीरे के विनिर्माण में प्रयुक्त सीड्स के आयात पर सीमा शुल्क छूट हेतु सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर या विशिष्ट उपयोग हेतु वस्तुओं का आयात) नियम, 2022 (आईजीसीआर) की शर्त हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त, एलजीडी सीड्स के शुल्क मुक्त आयात को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

5. विदेशी खनन कंपनियों (एफएमसी) द्वारा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों (एसएनजेड) में अपरिष्कृत हीरों की बिक्री के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें (एसएचआर) नवंबर 2024 में अधिसूचित की गईं, ताकि विदेशी खनन कंपनियों द्वारा भारतीय संस्थाओं को अपरिष्कृत हीरे की सीधी बिक्री को बढ़ाया जा सके।

6. एक-चौथाई कैरेट से कम प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से डायमंड इम्प्रेस्ट अथोराइजेशन स्कीम लागू की गई है, जिससे मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) एवं (ङ): वाणिज्य विभाग ऐसे आंकड़े नहीं रखता है।